



वन उत्पादकता संस्थान  
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्)

(वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)

लालगुटवा, एन. एच.-23, गुमला रोड, राँची-835303 (झारखण्ड)

INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY

(Indian Council of Forestry Research & Education)

(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt of India)

Lalgutwa, Gumla Road, N.H.-23, Ranchi-835303 (Jharkhand)

E-mail : dir\_ifp@icfre.org, ifpranchi2018@gmail.com

Website:-http://ifp.icfre.gov.in



Phone : 0651- 2526140  
2526150

फाईल संख्या II-AC/255/CJMS/2022-23 / 1977

दिनांक: 5.1.2022

परिपत्र

विदित हो कि चिकित्सा उपचार के संबंध में राज अस्पताल, राँची को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन इस मुख्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं उनपर आश्रित सभी पारिवारिक सदस्यों के चिकित्सा हेतु उक्त अस्पताल के प्रबंधन द्वारा सहमति प्राप्त हुई है। अतः इस दिशा में आगे की कारवाई हेतु मुख्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुरोध किया जाता है कि उन पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों (Form No.3 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा घोषित पारिवारिक सदस्य) का स्व-अभिप्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि एवं 02 फोटो संलग्न करते हुए विहित प्रोफोर्मा (संलग्न) में संबंधित विवरण भर कर लेखा अनुभाग में दिनांक 20/01/23 तक उपलब्ध कराये।

(डॉ. नितिन कुलकर्णी)  
निदेशक

सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रतिलिपि :

1. समूह समन्वयक (अनुसंधान), व.उ.सं., राँची।
2. सभी प्रभागध्यक्ष, वन उत्पादकता संस्थान, राँची (ईमेल या अन्य सूचना तंत्र द्वारा)।
3. संपदा अधिकारी, वन उत्पादकता संस्थान, राँची।
4. निदेशक के निजी सचिव, वन उत्पादकता संस्थान, राँची। ईमेल या अन्य सूचना संचार माध्यम से प्रसारित करने हेतु।
5. सूचना एवं प्रौद्योगिकी, व.उ.सं., राँची। वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं प्रभारी (प्रशासन), व.उ.सं., राँची।
7. अनुभाग अधिकारी, व.उ.सं., राँची।
8. प्रभारी, ई.आर.एस., सुकना।
9. प्रभारी, वन अनुसंधान और विस्तार केंद्र, पटना।
10. प्रभारी, वन अनुसंधान केंद्र, मांडर।
11. प्रभारी, एन. बी. फार्म, चंदवा।
12. नोटिस पटल (दोनों भवन)।
13. गार्ड फाईल।

